

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 94]

नवा रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 20 फरवरी 2026 — फाल्गुन 1, शक 1947

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 19 फरवरी 2026

अधिसूचना

क्रमांक/LAND-43/111/2025-FOREST.— भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय चार में "संरक्षित वनों" के संबंध में उल्लेखित प्रावधानों को नीचे दी गई अनुसूची में उल्लिखित क्षेत्र पर लागू करने की घोषणा इस शर्तों के अधीन करती है कि ऐसे वनों पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकारों, जहाँ तक कि वे राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर रूपांतरित किये जाये, के अतिरिक्त किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड भलेरा N 21°06'30" E 81°56'47", N 21° 06' 21" E 81° 56' 46", N 21° 06' 30" E 81° 57' 12", एवं N 21° 06' 28" E 81° 57' 15" के मध्य स्थित है, अर्थात:-

अनुसूची

जिला: रायपुर		तहसील: आरंग		वनमण्डल: रायपुर		परिक्षेत्र: नवा रायपुर
स.क्र.	वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम एवं पटवारी हल्का नं.	भूमि की वर्तमान मद	खसरा क्र.	क्षेत्रफल हे. में	अवस्थिति/सीमाएं
1	2	3	4	5	6	7
01	भलेरा	भलेरा 62	शासकीय घास भूमि	926/2	18.000	निकटतम वन कक्ष क्र.63 एवं उससे दूरी 5.400 कि.मी. उत्तर:- सर्वे मुनारा क्र. 1 से 6 तक एवं खसरा क्र. 904/1, 904/9, 904/3 की सीमा रेखा। पूर्व:- सर्वे मुनारा क्र. 6 से 10 तक तथा प्राकृतिक नाली की सीमा। दक्षिण:- सर्वे मुनारा क्र. 10 से 18 तक एवं खसरा क्र. 932 एवं 985 की सीमा रेखा। पश्चिम:- सर्वे मुनारा क्र. 18 से 1 तक एवं खसरा क्रमांक 926 का

						पश्चिमी सीमा का भाग।
			योग :-		18.000	

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रणय मिश्रा, विशेष सचिव.

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 19 फरवरी 2026

क्रमांक/LAND-43/111/2025-FOREST.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में वन विभाग की अधिसूचना क्र./LAND-43/111/2025-FOREST दिनांक 19-02-2026 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी.आर. सोन्टापर, उप-सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 19th February 2026

NOTIFICATION

No./LAND-43/111/2025-FOREST:- In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (No.16 of 1927), the State Government hereby declares that the provisions relating to "Protected Forest" mentioned in Chapter IV of the said Act shall be applicable to the areas specified in the Schedule below, subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block Bhalera lies between N 21° 06' 30" E 81° 56' 47", N 21° 06' 21" E 81° 56' 46', N 21° 06' 30" E 81° 57' 12" and N 21° 06' 28" E 81° 57' 15", namely :-

SCHEDULE

S.No	District: Raipur Tehsil: Arang Forest Division: Raipur Forest Range: New Raipur					
	Name of Forest Block	Name of Village & Patwari Halka No.	Present Head of Land	Khasara No.	Area (in Hec.)	Situation/Limit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01	Bhalera	Bhalera 62	Government Grassland	926/2	18.000	Nearest orange area Forest Compartment No. 63 and its Distance 5.400 K.M. North:- Survey Pillar No. 1 to 6 and boundary line of Khasra No. 904/1, 904/9, 904/3. East:- Survey Pillar No. 6 to 10 and natural drain boundary. South:- Survey Pillar No. 10 to 18 and boundary line of Khasra No. 932 and 985. West:- Survey Pillar No. 18 to 1 and western border part of Khasra number 926.
			Total		18.000	

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
PRANAY MISRA, Special Secretary.